20=00

227

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी – 6312/2018/निवाड़ी/भू.रा.

प्र.क्रं. / सन् दिनॉक.........

सवित्री पत्नि राजेन्द्र विदुआ

निवासी नैगुवॉ तहहसील पृथ्वीपुर

जिला टीकमगढ(म.प्र.)

आवेदिका

बनाम

शंकर सिंह तनय किशनलाल यादव

निवासी नैगुवॉ तहहसील पृथ्वीपुर

जिला टीकमगढ(म.प्र.)

अनावेदक

अधिनस्थ न्यायालय नायव तैहसीलदार मंडल नैगुवॉ तहहसील पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ(म.प्र.) द्वारा स.प्र.क्र. 54/अ/2/17–18 में दिनॉक 18.07.2018 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरूध पुनरिक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.राजस्व. संहिता 1959

महोदयजी,

उक्त उनमान मामले में आवेदिका निम्न आधारो सहित अन्य तत्यो पर रिवीजन प्रस्तुत कर रही है:–

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं आदेश विधि प्रक्रिया विपरीत होने से प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह लेख नही कर त्रृटी कि है की उसे कव व किस तिथि को सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ तथा आपत्ति के लिये न्यायालय की क्या अवधि थी। जिससे भी उक्त आदेश बोलता हुआ पारित नही कर त्रृटि की गई है। जो अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि अधिनस्थ न्यायालय में दिनॉक 27.06.2018 को उक्त प्रकरण मे पेशी तारीक थी। जिस पर आवेदक स्वयं ही उपस्थित नही था। ऐसे में उक्त प्रकरण को अदम पैरवी को खारिज नही कर त्रृटि की गई है। जिस से उक्त आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नही है।
4. यह कि दिनॉक 14.06.2018 को मौके पर सीमांकन नही किया गया न ही सरहदी कास्त कारो को इसलिये सूचना दी गई जिससे भी उक्त आदेश राजस्व निरीक्षक के

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

/ — 2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-6312/2018/निवाडी/भू.रा. सावित्री विरूद्ध शंकर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। 3. प्रस्तुत निगरानी नायब तहसीलदार मंडल नैगुवां तहसील पृथ्वीपुर के प्रकरण क्रमांक 54/अ-12/2017-18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 18-07-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 10.1.19 सदस्य	